

हरियाणा सरकार  
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला  
अधिसूचना :

क्रमांक 66583

दिनांक 20-08.2014

क्रमांक ह0 र0 कृ0 वि0 म0/एम0 ई0-1-ए0-3-2013/75717 दिनांक 28.11.2013 की अधिसूचना के निरन्तर/संदर्भ में :- पंजाब कृषि उपज मण्डी (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 29 (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की अनुसूची के अन्तर्गत क्रमांक 17 की कृषि उपज {कपास (ओटी हुई तथा बिना ओटी हुई) (कपास तथा रुई)} पर दो प्रतिशत से घटा कर 0.8 प्रतिशत मूल्यानुसार निर्धारित मार्केट फीस को आगे बढ़ाकर 1 अगस्त, 2014 से 31 जुलाई, 2015 तक निर्धारित की जाती है ।



आनन्द मोहन शरण,  
मुख्य प्रशासक,  
हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल,  
पंचकूला ।